

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

भावना आदि

बनाम

बुधराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 242/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
26.09.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।</p> <p>वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है ।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल कुल 4.7180 हैक्ट भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 9/40 हिस्सा भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थगन रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 04.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी नोहर</p> <p><i>25/10/24</i> वकील वादी / वादीया व निवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील वादीया / वादीया व निवेदन किम की हम पक्षवारम वा आपस व राजीनामा व वाया वीइएलम मए वाड वती चलाना चलाने रवारिण कारमात वादीया स्वय व दवा म वाड वती चलाने के धारण रवारिण टाला वी पत्रावली दारिखम दपतर वी</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी नोहर</p>	श्रीमा देवी